International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 15-11-2022; Accepted: 01-12-2022; Published: 17-12-2022
Volume 8, Issue 6, 2022, Page No. 123-124

भारत में नगरीकरण का सामाजिक संस्थाओ (विवाह, परिवार और नातेदारी) पर पड़ने वाले प्रभावो का विश्लेषणात्मक अध्ययन

रविना
स्नातकोत्तर, (इतिहास), महर्षि दयान्नद विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा, भारत

सारांश

भारत में नगरीय संरचना का विकास अत्यन्त ही प्राचीन काल से यानि सिंधु घाटी की सभ्यता से समकालीन अवधि तक हुआ है। भारत में जो सामाजिक परिवर्तन हुए जैसे, औपनिवेशिक प्रभाव, आधुनिक शिक्षा का प्रारम्भ, परिवहन और संचार के बेहतर साधन आदि की शक्तियों का समाज में विभिन्न संस्थाओं पर प्रभाव पड़ा। उनका प्रभाव पूरे भारत में महसूस किया गया है किन्तु गांव में रह रही आबादी की तुलना में नगर में रह रही आबादी पर इसका प्रभाव कहीं अधिक देखा गया है। भारत में गांव और नगर एक ही सभ्यता के भाग है और इसलिए इन्हें अलग–अलग नहीं समझा जा सकता है। इसलिए भारत में नगरीय सामाजिक संरचना जैसे परिवार, विवाह, नातेदारी और जाति की दृष्टि से की गई है। इन सभी चार पहलुओं का ग्रामीण और नगरीय दोनों सामाजिक संरचना में परस्पर निकट संबंध है।

मूल शब्द: सामाजिक परिवर्तन, संस्था, आबादी, सामाजिक संरचना, सभ्यता, परिवार, विवाह, नातेदारी आदि

प्रस्तावना

निरंतरता और परिवर्तन : विवाह की संस्था

सामाजिक संस्थाओं की परिभाषा समाज में सामाजिक संबधों, जो कि अपेक्षाकृत स्थायी है, के रूप में की गई है। किसी भी संस्था का अस्तित्व केवल तभी तक है जब तक कि लोग एक निश्चित रूप में व्यवहार करते है। यह सिर्फ व्यवहार के पैटर्न के रूप में प्रकट होता है। भारत के परम्परागत नगर में नगर की सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विश्लेषण और समझ के लिए विवाह, नातेदारी, परिवार, जाति का संस्थागत सम्मिश्रण सर्वाधिक युक्तियुक्त है। भारतीय समाजशास्त्रियों की भारतीय गांवो के अध्ययन में अपेक्षाकृत अधिक व्यस्तता के कारण नगरीय संदर्भ में विवाह के अध्ययन पर उनका काफी कम ध्यान गया है। एक संस्था के रूप में विवाह परम्परागत रूप से भारत में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक जाति समुदाय में विवाह के नियन अलग–अलग है। विवाह जाति अंतर्विवाह को ध्यान में रखकर तय किए जाते है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्येक जाति समुदाय में विवाह के नियम अलग–अलग है। गिरिराज गुप्त (1974) विवाह के अनेक सामाजिक आयामों जैसे अंतरा–परिवार भूमिकाओं और प्रतिमानों के संदर्भ में विवाह कर्मकांडों, विवाह और परिवार के लिए जाति के निहितार्थो और जातियों के बीच सामाजिक आदान–प्रदान, नाता संबंध (पुनर्विवाह) इत्यादि की जांच की है।

नगरीय नगरों में अन्तर्जातीय विवाहों, अन्तर्सामुदायिक, अन्तर्क्षेत्रीय और अन्तधार्मिक विवाहों, हांलाकि ये यदा–कदा ही होते है, का ऐसी पद्धतियों जैसे व्यापक गहन साक्षात्कार जाति इतिहास और इसमें समिलित व्यक्तियों के समाजिक भूगोल की सहायता से विस्तृत अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। (गांधी आर, 1983 : 21) "मात्र 25 वर्ष पहले अन्तर्जातीय विवाह की घटनाएं बहुत ही कम होती थीं और उन लोगों की जिन्होने जाति के बाहर विवाह करने का साहस किया वास्तव में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आज स्थिति बिल्कुल ही भिन्न है सिर्फ यही नहीं कि अन्तर्जातीय विवाह की छूट दे दी जाती है, अपितु अन्तर्जातीय विवाह करने वाले दम्पतियों द्वारा झेली जाने वाली कठिनाइयों में भी नरमी आई है।" परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण पहलु जो देखा गया वह यह था कि युवा पीढ़ी इस तरह के प्रभावो से व्यक्तिवादी बन जाता है और यहाँ तक कि वे विवाह के मामले में भी अपने निर्णय स्वयं लिया करते है। जाति के प्रति अपने बुजुर्गो से कम सोचते है और इसलिए वे अपने अन्तर समूह संबंधो में जाति तथा पंथ भिन्नताओं की उपेक्षा करते है।

निरंतरता और परिवर्तनः परिवार की संस्था

भारत में परिवार सामान्यता दो प्रकार के है, संयुक्त या विस्तृत परिवार जिसमें दो पीढियों से अधिक के सदस्य रहते हैं जैसे विवाहित दम्पति, उनके बच्चे, विवाहित या अविवाहित और एक या दोनों माता–पिता। दूसरे प्रकार का विवाह एकल परिवार है जिसमें पति, पत्नि और अविवाहित बच्चे सम्मिलित हैं।

आरम्भ में यह मान लिया गया था कि नगरीकरण की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप परिवार के आकार में घटोतरी होती है, पारिवारिक बंधन कमजोर पड़ जाते है और संयुक्त परिवार प्रणाली एकल परिवारों में विभाजित हो जाती है। यह मान्यता क्रम विकास के पाश्चात्य विचार को लागू करने का परिणाम है। एफ़.टोनीज, ई॰दुर्वीम, लुई विर्थ इत्यादि द्वारा प्रस्तुत सिद्धांतों ने समाज में इन घटनाओं को (संयुक्त से एकल परिवार की ओर बढ़ना) समाज सरल से जटिल समाज की ओर बढ़ता है। औद्योगीकरण और नगरीकरण समाज में इस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन लाए और एकल परिवार आधुनिक औद्योगिक नगरीय समाजों के साथ संबंद्ध हो गया। भारत में भी इस मान्यता कि पूर्वधारणा यह है कि संयुक्त परिवार ग्रामीण सामाजिक संरचना की एक संस्था है और समाज का जैसे–जैसे नगरीकरण होता है, संयुक्त परिवार जो कि ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था से संबद्ध है, गैर कृषि व्यवसायों की वृद्धि के साथ एकल परिवार का मार्ग प्रशस्त करेगा।

किंतु नगरीय भारत में परिवार का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्रियों द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों से यह उजागर होता है कि इस परिकल्पना की कोई बहुत ही विश्वसनीय आधार शिला नहीं है क्योंकि वस्तुतः संयुक्त परिवार नगरीय क्षेत्रो में भी पाए जाते है। ग्रामीण क्षेत्रों के साय "संयुक्त" परिवार का सह संबंध और नगरीय क्षेत्रों के साथ "एकल" परिवार का सह संबंध बहुत मान्य नहीं है। वास्तव में, ए.एम.शाह (1970), कपाड़िया (1956),गोरे (1968) और अन्य नगरीय विशेषज्ञों ने पाया कि एक समयावधि के अंदर परिवार एकल से संयुक्त से एकल में चक्रानुक्रम में परिवर्तित होता है। यह भारत में परिवार का गृहस्थी

आयाम है जो यह दर्शाता है कि नगरीकरण और 'पृथक' एकल गृहस्थी के बीच कोई सहसंबंध नहीं हैं।

निरंतरता और परिवर्तनः नातेदारी की संस्था

भारतीय समाज में नातेदारी पैटर्न को सामान्यताया हिंदु संयुक्त परिवार के संदर्भ में देखा जाता है और इसलिए इस पर अधिक ध्यान नही दिया गया है। तथापि नगरीय संदर्भ में परिवार के अध्ययन की भांति, नातेदारी का यह क्षेत्र पुनः ग्रामीण और नगरीय के बीच विरोध के उसी द्विभाजन संबंधी दावा से ग्रस्त है। किंतु जब से नगरीय समुदायों में संयुक्त परिवार के विघटन का सिद्धांत गलत साबित हुआ है। भारत में नगरीय नातेदारी संबंधी कुछ रोचक अध्ययनों से भारतीय नगरों में नातेदारी के विस्तृत संजाल (नेटवर्क) का पता चला है। गांधी, आर, (1983:25) ने भारतीय नगर वासियों के प्रायमित अन्तर्कियाओं के क्षेत्र के रूप में परिवार, बंधु समूह और उपजाति का अध्ययन किया और पाया कि दास, बनिया उपजाति की 36.7 प्रतिशत महिलाओं का पैतृक या जन्मजात रिश्तेदार (माता–पिता, भाई, उनकी पत्नियां, बहनें, उनके पति) उसी नगर में रह रहे थे, इस प्रकार सर्वाधिक अनुपात उत्तरदाताओं का लगभग 55 प्रतिशत अपने जन्मजात रिश्तेदार से बार–बार अन्तक्रिया करते पाए गए।

मैरी चटर्जी (1947 : 337–49) बनारस नगर में भंगी (निम्नजाति) इलाके में नातेदारी के अपने अध्ययन में पाती है कि मोहल्ला में व्यक्तियों के लिए, चाहे वे संबंधित हो या नहीं, अपितु इलाके के बाहर भी मिलने वाले अधिकतर व्यक्तियों के लिए भी नातेदारी शब्दो का प्रयोग किया जाता था। वह पाती है कि संबंधो की धारणा के ग्रहण के साधन और निवास के भर्ती के सिद्धांत दोनों के रूप में नातेदारी नगरीय इलाके की संरचना में नातेदारी बुनियादी सिद्धांत था। समरक्त (अर्थात रक्त संबंधी) और सगोत्रीय (विवाह द्वारा रिश्तेदार) नगरपालिका में अपने संबंध की दृष्टि से जुड़ी थी। भारतीय परिप्रेक्ष्य में नातेदारी अध्ययन ग्रामीण और नगरीय के बीच मान लिया गया, द्विविभाजन लागू नही होता है। कम से कम तब जब हम नगरीय भारत में जांच करते है, के इस तर्क को साबित करता है।

निष्कर्ष

जब हम विवाह, परिवार और नातेदारी की सामाजिक संस्थाओं पर नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन करते है, तो हम पाते है कि सैद्धान्तिक मान्यताओं के कारण दो भिन्न प्रकार के समाजों के रूप में ग्रामीण और नगरीय के द्विविभाजन के पूर्वाग्रस्त के कारण सामने आए है। आरम्भ में अनेक नगर के जानकार शीघ्रतापूर्वक इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि संयुक्त परिवार ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था से संबंधित है, जैसा कि पश्चिम में पाया जाता है और एकल परिवार नगरीय औद्योगीकृत गैर कृषि अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ा है। हालांकि, नगरीय भारत में परिवार, विवाह, नातेदारी और जाति संबधी अनेक अध्ययन जैसे आई. पी. देसाई (1964), के. एम कपाड़िया (1956), रामकृष्ण मुखर्जी आदि ने इस विचार के विपरित यह पाया कि समाज के प्रकारों और परिवार एवं गृहस्थी की संयुक्तता या एकलता के बीच ऐसा कोई संबंध नही है।

संदर्भ सूची

1. गांधी, राज 1983, मेन करेनट्स इन इंडियन सोशियोलॉजी, विकास पब्लिशिंग हाऊस प्राइवेट लिमिटेडः नई दिल्ली।
2. गुप्ता, गिरिराज, खण्ड छः अर्बन इंडिया, विकास पब्लिशिंग हाऊस प्राइवेट लिमिटेडः नई दिल्ली।
3. संधु, आर. एस (संपा) 2003, अर्बनाइजेशन इन इंडिया सोशियो लॉजिकल कंट्री ब्युशन्स, सेज पब्लिकेशंस : नई दिल्ली।
4. रामचंद्रन, आर, 1989 अर्बनाइजेशन एण्ड अर्बन सिस्टम इन इंडिया, नई दिल्ली : ऑक्स फोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस।
5. श्री निवास, एम.एन कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एण्ड अदर एसेजं एशिया पब्लिशिंग हाउस बम्बई, 1962